राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिलाः श्रीगंगानगर राजस्थान – 335702
सी.आाई.एनः यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Sriganganagar, Rajasthan-335702
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone:01498-61202,
वेबसाईट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्रांकः के.रा.फा./जैत./कृषि/10–09/कटाई/2025–26/ दिनांक 16.08.2025

ई–निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर (राज0) पर खरीफ–2025 के दौरान फार्म स्तर पर बीजाई की गई मूंग 1623.50 एकड़, मोठ 304.75 एकड़, मूगफली 246.00 एकड़, तिल 29.00 एकड व ग्वार 1622.75 एकड क्षेत्रफल में बिजाई की गई फसलों कि कटाई/गहाई से संबंधित सभी कार्य करवाने हेतु इच्छुक ठेकेदारों से चकवार ई–निविदा दिनांक 06.09.2025 को दोपहर 2:30 बजे तक ऑनलाईन माध्यम से आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपह्यन 3:00 बजे खोली जायेगी। उपरोक्त कार्य के लिए निविदा प्रपत्र शुल्क 590 (500+GST 18%) व धरोहर राशि रुपये 5,000 प्रति चक, प्रति फसल (रुपये बोस हजार प्रति चक मात्र) का बैक डिमान्ड–ड्राफ्ट/RTGS/NEFT/ Online Transfer जो कि नेशनल सीडस कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC code SBIN0008251, Account No. 4153 2435 884) पर देय हो, निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एवम् शर्ते किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्यालय से ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com तथा ई-पोर्टल https://indiaseeds.enivida.com *पर भी देखी जा सकती हैं, जिस पर निविदादाता का पंजीकरण होना अनिवार्य है।*

प्रभारी उत्पादन
कृते निदेशक

Particulars	Details
Date of issue of NIT	16-08-2025
Date and time for submission of online bid	From 18-08-2025 12:00 PM To 06-09-2025 02.30 PM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode	06-09-2025 on 3:00 PM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/ NEFT)	Rs. 590.00 (tender fee 500+ GST 18%)
EMD Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	Rs. 5,000.00 Per chak
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Jetsar (Raj.)
Contact Person &Email	Email : csf.jetsar@indiaseeds.com

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

I. ACCESSING / PURCHASING OF BID DOCUMENTS :

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on https://indiaseeds.enivida.com by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.

II. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com

III. Bidders must have a valid email id and mobile number.

IV. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.

V. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.

VI. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.

VII. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.

VIII. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.

IX. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.

X. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.

XI. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.

XII. Bidders must pay required payments (Tenderfee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.

XIII. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.

XIV. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

XV. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.

XVI. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.

XVII. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.

XVIII. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.

XIX. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.

XX. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - **Phone: 9355030617, 8448288980**

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर (राज0)

खरीफ-2025 की मूँगफली फसल की कटाई एवं अन्य संबंधित कार्यों को करने हेतु नियम व शर्तें:
(246.00 एकड क्षेत्र के लिए नियम एवं शर्ते जिसमे सभी मशीनरी व लेबर ठेकेदार की होगी।)

1. प्रत्येक निविदादाता को ई निविदा में भाग लेने के लिए प्रत्येक चकवार फसलवार हेतु अखरे रूपये 5000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) को NEFT/RTOS के माध्यम से नेशनल सीडस कारपोरेशन लिमिटेड , जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक , बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251 खाता संख्या 4153 2435 884) पर देय हो, धरोहर राशि के रुप में जमा करवाकर कार्यालय में रसीद प्रस्तुत करनी होगी ।
2. मूंगफली का कुल एरिया 246.00 एकड जिसकी निविदा चकवार ली जायेगी। निविदा दा ता को स्वीकृति के बाद ही एरिया आवंटित किया जायेगा। ठेकेदार को इसमें निम्नलिखित कार्य करने होंगे।
   - क. ठेकेदार अपने ट्रैक्टर-डिगर व कामगारों को लगाकर खुदवाई करवाकर एकत्र करेगा। ठेकेदार को मूँगफली चुनने एवं छानने की मशीन की व्यवस्था स्वय अपने स्तर पर करेगा। फार्म द्वारा किसी भी प्रकार की मशीनरी उपलब्ध नही करवाई जायेगी।
   - ख. छोटी-छोटी थब्बियों बनाकर सूखने के बाद मुरब्बे में बड़े-बडे ढेर लगाना।
   - ग. ठेकेदार को अपने ट्रेक्टर थ्रेसर व मजदूर लगाकर गहाई करना मूँगफली को ट्रेक्टर ट्राली से मुख्य खलिहान पर पहुंचा कर उसकी सफाई करके बॉरी में भरने व सिलाई करने तक का कार्य करना होगा।
   - घ. उपरोक्त वर्णित सभी कार्यों को चक प्रभारी/खंड प्रभारी के निर्देशानुसार करने होंगे।
   - ङ. मूंगफली की फसल के सभी वर्णित कार्य ठेकेदार को 30 नवम्बर-2025 तक पूरे करने होंगे।
   - च. मूँगफली के ठेके में वर्णित कार्य समाप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर फार्म परिसर से उसका नीरा-गुना उठाना होगा। समय पर नीरा-गुना नहीं उठाने पर कार्य प्रशासन उचित कार्यवाही कर सकता है तथा नीरा गुना को जब्त भी कर सकता है।
   - छ. बिना गेट-पास एवं बिना समस्त कार्य पूर्ण करवाये कोई भी ठेकेदार नीरा-गुना नहीं ले जायेगा। यदि कोई ठेकेदार बिना गेट पास के अथवा बिना समस्त कार्य पूर्ण करवाये नीरा गुना ले जाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायेगी।
   - ज. फार्म में राशि जमा करने के आधार पर निविदा लेता है तो बोली की कुल राशि का 25 प्रतिशत बोली छूटते ही जमा करवानी होगी व शेष राशि को 30 नवम्बर 2025 तक अथवा कार्य समाप्ति से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करवाकर नीरा गुना उठवाना होंगा
3. फसल की स्थिति एवं क्षेत्रफल को ध्यान में रखकर कटाई एवं अन्य कार्यो को पूरा करने की अवधि को घटाया व बढ़ाया भी जा सकता है। यदि ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा फार्म की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी भरपाई सम्बधित ठेकेदार से की जायेगी।
4. ठेकेदार कार्यों को निर्धा रित समय पर पूरा नहीं करता अथवा बीच में छोडकर चला जा ता है, कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं करता है तो उसका ठेका रद्द कर उसके द्वारा जमा समस्त राशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा नीरा व गुना भी जारी नहीं किया जायेगा ।
5. फार्म के निदेशक / प्रभारी निदेशक को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा निरस्त कर सकता है।
6. धरोहर राशि ठेके का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद ही लौटायी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ठेकेदार फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा।
7. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है , तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझा और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, के प्रावधानों 1996 को तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्षप्रबंधक निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र -सह-मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा ।

नोट:- अगर ठेकेदार फार्म से थ्रेसर/ छालना आदि को फार्म से किराये पर लेना चाहता है तो यह एक प्राथना पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि फार्म के पास मागे गये उक्त संसाधन उपलब्ध होगे तो यांत्रिक विभाग की निर्धारित दर के अनुसार अपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके लिए फार्म बाध्य नहीं होगा।

ठेकेदार का नाम मय हस्ताक्षर

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर

खरीफ-2025 फसलों की कटाई एंव अन्य सम्बन्धित कार्यों हेतु नियम व शर्ते:-

1. प्रत्येक निविदादाता को ई-निविदा में भाग लेने के लिए प्रत्येक चकवार फसलवार हेतु अखरे रूपये 5000/- (रूपये पाँच हजार मात्र) को NEFT/RTGS के माध्यम से नेशनल सीडस कारपोरेशन लिमिटेड , जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक , बाजूबाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251 खाता संख्या 4153 2435 884) पर देय हो, धरोहर राशि के रुप में जमा करना होगा। प्रत्येक फसल की निविदा अलग-अलग चकवार करायी जायेगी। उच्चतम / न्यूनतम निविदा दाता की स्वीकृति के बाद ही क्षेत्र आवंटित किया जायेगा।
2. प्रत्येक फसल की निविदा अलग अलग चकवार करायी जाएगी । उच्चतम/न्युनतम निविदादाता को स्वीकृति के बाद ही क्षेत्र आवंटित किया जाएगा ।
3. फार्म में राशि जमा करने के आधार पर कार्य लेने के लिए निविदा/बोली छूटने पर 25 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करवाती होगी तथा शेष राशि नीरा गुणा उठाने से पूर्व जमा करवानी होगी।
4. ग्वार फसल की निविदा चकवार उच्चतम / न्यूनतम निविदा के आधार पर फार्म प्रमुख महोदय की स्वीकृति के बाद ही क्षेत्र आवंटित किया जायेगा। जिसमे ठेकेदार को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:-
   - क. फसल की कटाई करना।
   - ख. छोटी-छोटी थाब्बिया बनाकर सूखने के बाद मुरब्बे में बड़े-बडे ढेर लगाना।
   - ग. ठेकेदार अपने ट्रैक्टर-थ्रेसर से अपने मजदूर लगाकर गहाई करवायेगा।
   - घ. उपरोक्त वर्णित सभी कार्यों को धक प्रभारी / खण्ड प्रभारी के निर्देशानुसार करने होंगे।
   - ङ. समस्त सशि जमा होने तथा कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद ही नीरा-गुणा जारी किया जायेगा।
5. मूँग/मोठ/बाजरा/तिल निविदा भी चकवार होगी। इसमें अग्रलिखित फसलों के निम्नाकिंत कार्य करने होगेः-
   - क. ठेकेदार द्वारा हाथ से फसल को काटना।
   - ख. छोटी-छोटी थाब्बिया बनाकर सूखने के बाद मुरब्बे में ही खलियान बनाकर ढेर लगाना, कम्बाइन थैंसर आदि से गहाई करना। फार्म के साधन में लोड करना, उक्त कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने, समस्त राशि जमा कराने के बाद एवं संबंधित खण्ड प्रभारी व हैड गार्ड द्वारा नीरे व गुणे का निरीक्षण करने के बाद ही ठेकेदार को नीरा-गुणा ले जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। फार्म परिसर से कार्य समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर ही नीरा-गुणा उठाना आवश्यक होगा।
   - ग. बाजरा में सिट्टा काटना, फार्म ट्राली में लोड करना, विनोइंग सेन्टर पर उतरना, फार्म की कम्बाइन में झुकाई करना, दो से तीन बार थ्रेसिंग करना।
6. फसल की स्थिति एवं क्षेत्रफल को ध्यान में रखकर कटाई एवं अन्य कायों को पूरा करने कीअवधि को घटाया व बढ़ाया भी का सकता है।
7. निविदा में दिये गये क्षेत्रफल को घटाया व बढ़ाया जा सकता है।
8. थ्रेसिंग की गई फसल की नीरा-गुणा में दाना नहीं होना चाहिए, जिसका संबंधित खण्ड प्रभारी व हैंड-गार्ड के द्वारा निरीक्षण हाने एवं समस्त धनराशि जमा होने के बाद ही नीरा-गुणा जारी किया जायेगा। कार्य समाप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर फार्म से नीरा-गुणा उठाना आवश्यक है। यह नियम सभी खरीफ फसलों पर लागू होगा तथा उच्चतम/न्यूनतम निविदाता को ही क्षेत्र आवंटित किया जाएगा ।
9. यदि ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा फार्म की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी भरपाई सम्बंधित ठेकेदार से की जायेगी।
10. ठेकेदार कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा नहीं करने अथवा बीच में छोडकर चले जाने, कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं करने अथवा पूर्ण राशि जमा नही करवाने पर उसका ठेका रद्द कर उसके द्वारा जमा समस्त राशि मय धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा नीरा व गुना भी जारी नहीं किया जायेगा ।
11. कार्य के निदेशक / प्रभारी निदेशक को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा निरस्त कर सकता है।
12. धरोहर राशि ठेके का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद ही लोटायी जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
13. ठेकेदार फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा।
14. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है , तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझा और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, के प्रावधानों 1996 को तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्षप्रबंधक निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र -सह-मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा ।

ठेकेदार का नाम मय हस्ताक्षर

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	Details
Name of the E-Tenderer	
Father name of the E-Tenderer	
Full address of the E-Tenderer	
Mobile number of the E-Tenderer	
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card/Driving License etc.	
Copy of Bank Passbook	
EMD Details (UTR/Reference no., Date and Amount) 5,000/-	
Tender Form Fee Details (UTR/Reference no., Date and Amount) 590/-	
Signed copy of term & condition.	

Name...

Signature with Official Stamp.........

Address...

Phone/Mobile No..............................

Pin No___________________________

Financial Bid

Moong Crop:-

क्र सं S.N.	खंड Block	चक Chak	फसल Crop	क्षेत्रफल एकड़ में Area in acer	मैं फार्म से प्रति एकड़ श्रेणी के अनुसार राशि लूंगा I Will take category wise amount per acer from the Farm				मैं फार्म को प्रति एकड़ श्रेणीवार राशि दूंगा I Will give category wise amount per acer to the Farm			
					A	B	C	D	A	B	C	D
1	1	1 BGD-A	Moong	130.00								
2		1 BGD-B		312.50								
3		3 BGD		347.00								
4		1 BGM		138.00								
5	2	2 & 3 MGM Pivot	Moong	122.50								
6	3	1-5 MGM	Moong	193.50								
7		IWM-I		175.00								
8		9-10 SAD		205.00								

नोटः– 1. उपरोक्त क्षेत्रफल को आवश्यकतानुसार घटाया व बढाया भी जा सकता है।
The above area can be increased or decreased as per requirement.

Moth Crop:-

क्र सं S.N.	खंड Block	चक Chak	फसल Crop	क्षेत्रफल एकड़ में Area in acer	मैं फार्म से प्रति एकड़ श्रेणी के अनुसार राशि लूंगा I Will take category wise amount per acer from the Farm				मैं फार्म को प्रति एकड़ श्रेणीवार राशि दूंगा I Will give category wise amount per acer to the Farm			
					A	B	C	D	A	B	C	D
		1 BGD-A		20.00								
	1	1 BGD-B	Moth	15.00								
		3 BGD		71.25								
1	2	2 & 3 MGM Pivot	Moth	101.50								
		EPO		5.00								
		1-5 MGM		68.00								
2	3	IWM-I	Moth	24.00								

नोटः– 1. उपरोक्त क्षेत्रफल को आवश्यकतानुसार घटाया व बढाया भी जा सकता है।
The above area can be increased or decreased as per requirement.

Guar Crop:-

क्र सं S.N.	खंड Block	चक Chak	फसल Crop	क्षेत्रफल एकड़ में Area in acer	मैं फार्म से प्रति एकड़ श्रेणी के अनुसार राशि लूंगा I Will take category wise amount per acer from the Farm				मैं फार्म को प्रति एकड़ श्रेणीवार राशि दूंगा I Will give category wise amount per acer to the Farm			
					A	B	C	D	A	B	C	D
1	1	1 BGD-A	Guar	113.00								
2		1 BGD-B		46.00								
3		3 BGD		251.25								
4		1 BGM		260.50								
6	2	2 & 3 MGM Pivot	Guar	294.50								
7		EPO		15.00								
8	3	1-5 MGM	Guar	307.50								
9		IWM-I		154.00								
10		9-10 SAD		181.00								

नोटः– 1. उपरोक्त क्षेत्रफल को आवश्यकतानुसार घटाया व बढाया भी जा सकता है।
The above area can be increased or decreased as per requirement.

G.Nut Crop:-

क्र सं S.N.	खंड Block	चक Chak	फसल Crop	क्षेत्रफल एकड़ में Area in acer	मैं फार्म से प्रति एकड़ श्रेणी के अनुसार राशि लूंगा I Will take category wise amount per acer from the Farm				मैं फार्म को प्रति एकड़ श्रेणीवार राशि दूंगा I Will give category wise amount per acer to the Farm			
					A	B	C	D	A	B	C	D
1	1	1 BGD B	G.Nut	18.00								
		3 BGD		57.50								
2	2	2 & 3 MGM Pivot	G.Nut	76.50								
2	3	IWM-I	G.Nut	24.00								
		1-5 MGM		70.00								

नोटः— 1. उपरोक्त क्षेत्रफल को आवश्यकतानुसार घटाया व बढाया भी जा सकता है।
The above area can be increased or decreased as per requirement.

Til Crop:-

क्र सं S.N.	खंड Block	चक Chak	फसल Crop	क्षेत्रफल एकड़ में Area in acer	मैं फार्म से प्रति एकड़ श्रेणी के अनुसार राशि लूंगा I Will take category wise amount per acer from the Farm				मैं फार्म को प्रति एकड़ श्रेणीवार राशि दूंगा I Will give category wise amount per acer to the Farm			
					A	B	C	D	A	B	C	D
1	3	IWM-I	Til	29.00								

नोटः— 1. उपरोक्त क्षेत्रफल को आवश्यकतानुसार घटाया व बढाया भी जा सकता है।
The above area can be increased or decreased as per requirement.

Name...

Signature with Official Stamp.........

Address..

Phone/Mobile No...............................

Pin No__________________________